-1-

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

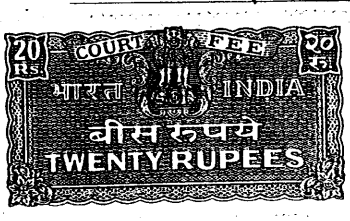

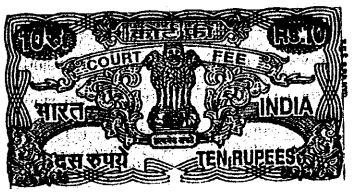

श्री .... द्वारा आज दि. 16-1-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

01. श्यामलाल चमार तनय मुन्ना चमार, निवासी सोनौरा चेक उतैली, हाल मुकाम सज्जनपुर, मंगली बाजार सज्जनपुर, तह0 रामपुर बाघेलान, जिला–सतना म.प्र.

02. श्रीमती सुनीता चौधरी पत्नी गोमती प्रसाद चौधरी, निवासी अमौधा कला, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना म.प्र.

03. महेश कुमार कापड़ी तनय जमुनादास कापड़ी, निवासी पुष्पराज कालोनी, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना म.प्र..निगराकारगण

बनाम

01. राजेश अग्रवाल तनय स्व. श्री गुरू प्रसाद अग्रवाल

02. श्रीमती आशारानी अग्रवाल पत्नी श्री गुरु प्रसाद अग्रवाल,दोनों निवासी हनुमान चौक सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना म.प्र.

03. म.प्र. शासन द्वारा हल्का पटवारी कोलगवां, तहसील रघुराजनगर जिला–सतना म.प्र...गैरनिगराकारगण

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959</u>
विरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय सतना के स्वप्रेरणा निगरानी क्र.2/13–14 में पारित
<u>आदेश दिनांक 28.12.2016</u>

मान्यवर,

उपरोक्त सन्दर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी हैं :–

<u>संक्षिप्त तथ्य</u>

गैरनिगराकार जो निगराकार क्र.1 की आराजी का चौहद्दी काश्तकार है और इसी प्रकार के आवंटन एवं व्यवस्थापन की आराजियातों को

क्रमशः.........2

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–217/II/2017 निगरानी जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-1-17	01– आवेदक/निगराकारगणों द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ कलेक्टर सतना के स्वप्रेरणा निगरानी क्र.02/13–14 मे पारित आदेश दिनांक 28.12.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। 02– आवेदक/निगराकार द्वारा निगरानी मेमो के अन्तर्गत मुख्य रूप से यह आधार लिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय को संहिता में हुए संशोधन के आधार पर अनावेदक/गैरनिगराकार क्र.1, 2 के स्वप्रेरणा निगरानी के प्रारूप के अन्तर्गत प्रकरण को स्वप्रेरणा में लिया जाकर सुनवाई किए जाने की अधिकारिता नहीं थी, क्योंकि अधीक्षक भू–अभिलेख सतना के प्र.क्र.3बी121/11–12 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2012 एवं अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के प्र.क्र.70अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2012 के संबंध में इन्हीं गैरनिगराकारगणों द्वारा दोनों आदेशों के संबंध में अपर आयुक्त महोदय रीवा के समक्ष अपील क्र.778/11–12 प्रस्तुत की गई थी, साथ ही अधीक्षक भू–अभिलेख एवं अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर तथा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सतना को पक्षकार बनाते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका क्र.852/13 प्रस्तुत की जा चुकी थी और सफलता प्राप्त न होने तथा अधीक्षक भू–अभिलेख का आदेश दिनांक 15.03.2012 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 17.02.2012 यथावत हो जाने पर आराजी को शासकीय बताकर वरिष्ठ न्यायालयों की कार्यवाहियों को छिपाते हुए स्वप्रेरणा निगरानी प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत की गई थी। 03– जिसमें यह भी आधार लिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 सतना के व्यवहारवाद क्र.17ए/2000 में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक	

13.04.2006 का अवलोकन किए बिना आदेश पारित किया गया है, जबकि उक्त निर्णय एवं डिक्री के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय स्वयं पक्षकार थी और वादग्रस्त आराजी के संबंध में दीवानी न्यायालय द्वारा विधिवत स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित की गई है जो अधीनस्थ न्यायालय पर पूर्णतः बंधनकारी थी, क्योंकि डिक्री आज भी यथावत है, जिसमें आवेदक को शासन द्वारा वर्ष 1975–76 में दिए गए पट्टे के आधार पर वैधानिक आधिपत्य की पुष्टि की जा चुकी थी तथा पट्टे स्थाई के संबंध में राजस्व न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में उपपत्ति अंकित की गई, जिसके आधार पर निगराकार क्र.1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्थाई पट्टे के संबंध में कार्यवाही प्रस्तावित की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जांच–पड़ताल किए जाने के उपरान्त पट्टा वैध होना प्रमाणित किए जाने के उपरान्त नामान्तरण किए जाने के संबंध में अधीक्षक भू–अभिलेख को प्रकरण भेजा गया था, जिसमें अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा पुनः मौके की एवं अभिलेखों की जांच किए जाने के उपरान्त अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.02.2012 के पालन में आदेश दिनांक 15.03.2012 पारित किया गया था, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 17.02.2012 यथावत है।

04– निगराकार द्वारा अपनी निगरानी मेमो में यह भी आधार लिए गए हैं कि गैरनिगराकारगणों द्वारा आराजी को किसी प्रकार से प्राप्त किए जाने की मंशा से जो झूठी शिकायत की गई, उसमें पट्टे एवं राजस्व अभिलेखों की किसी प्रकार से जांच नहीं की गई, बल्कि अपने प्रभाव के अन्तर्गत जो प्रतिवेदन तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से प्राप्त किया गया, उसमें पट्टे के प्रकरण को तलब किया जाकर कोई जांच किए जाने का प्रतिवेदन नहीं है, जिससे उक्त आराजी आवेदक को हरिजन जाति एवं भूमिहीन होने तथा पूर्व से आधिपत्य के आधार पर जो अस्थाई पट्टे पर प्राप्त हुई थी, वह 10 वर्ष बाद स्वमेव ही स्थाई पट्टे के अधिकार प्राप्त होने की सम्पूर्ण जांच–पड़ताल होने के आधार पर नामान्तरण प्रमाणित किया गया, जिसके संबंध में

अधीक्षक भू–अभिलेख को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे।

05– निगराकारगण द्वारा यह भी आधार लिए गए कि इन्हीं गैरनिगराकार क्र.1 एवं 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी को अपनी बताते हुए सिविल न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया है जो चल रहा है, दूसरी तरफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी के गलत आवंटन का गलत आधार बताते हुए आराजी शासकीय दर्ज किए जाने की कार्यवाही पूर्णतः दोषपूर्ण रूप से की गई थी, जिसके संबंध में निगराकार द्वारा जो प्रारम्भिक आपत्ति की गई, उस पर किसी प्रकार से सुनवाई किए बिना केवल गैरनिगराकार क्र.1, 2 के निगरानी मेमो में अंकित आधारों को मान्य कर अंतिम आदेश पारित किया गया है, जबकि सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय को अधिकारिता के संबंध में प्रारम्भिक तौर पर विचार किया जाना चाहिए था।

06– निगराकार द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हो जाने एवं आराजी क्रेताओं के नाम पर विधिवत नामान्तरित हो जाने से विक्रय पत्रों के संबंध में किसी प्रकार की सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय को न किए जाने के संबंध में भी लेख किया गया है, जिसमें गैरनिगराकार क्र.1, 2 द्वारा जो दोषपूर्ण कार्यवाही की गई, उसे समझे बिना प्रश्नाधीन आदेश पारित किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने की याचना की गई।

07– प्रकरण मे निगराकारगणों द्वारा मुताबिक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके आधार पर सिविल न्यायालय के व्यवहारवाद क्र.17ए/2000 में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 13.04.2006 के आधार पर आवेदक क्र.1 के नाम स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित होना तथा वर्ष 1974–75 में आवेदक क्र.1 को दिए गए पट्टे के आधार पर आधिपत्यधारी होना प्रमाणित किया गया है, जिसके आधार पर आवेदक क्र.1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष प्र.क्र.8अ74/10–11 प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने एवं तहसीलदार द्वारा प्रकरण निरस्त किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील क्र.

70अपील/11–12 प्रस्तुत की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17.02.2012 को अधीक्षक भू–अभिलेख के समक्ष जांच–पड़ताल कर अभिलेख दुरुस्त किए जाने का आदेश दिया गया, जिसके विरुद्ध गैरनिगराकार क्र.1 एवं 2 द्वारा कलेक्टर सतना, अनुविभागीय अधिकारी सतना एवं अधीक्षक भू–अभिलेख को पक्षकार बनाकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका क्र.852/13 प्रस्तुत की गई तथा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 02.09.2016 को निरस्त हो गई, जिससे स्पष्ट है कि गैरनिगराकारगणों द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख एवं अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के आदेश दिनांक 17.02.2012 के संबंध में पूर्व में ही वरिष्ठ न्यायालयों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी थी और उक्त कार्यवाहियों में सफल न होने पर स्वप्रेरणा निगरानी तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जबकि वरिष्ठ न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही हो जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय को गैरनिगराकार क्र.1 एवं 2 के निगरानी प्रारूप के अन्तर्गत संहिता में हुए संशोधन के अन्तर्गत सुनवाई किए जाने की अधिकारिता प्राप्त न होना प्रमाणित होता है। साथ ही सिविल न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री में अधीनस्थ न्यायालय भी पक्षकार के रूप में है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध भी स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित है, जिससे प्रकरण मे निर्णय एवं डिक्री का भी उल्लंघन होना प्रमाणित होता है।

अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सतना का आदेश दिनांक 28.12.2016 निरस्त किया जाकर निगराकार क्र.2 एवं 3 के नाम पूर्ववत् राजस्व अभिलेख दुरुस्त किए जाने का आदेश किया जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर